"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]   रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 जनवरी 2014—पौष 23, शक 1935

राज भवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2014

आदेश

क्रमांक 44/एफ. 1-3/2013/रास/यू.-5.—छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के कुलपति डॉ. बिमल चन्द्र माल का कार्यकाल दिनांक 10 फरवरी, 2014 को पूर्ण हो रहा है, अत: उक्त पद रिक्त होने पर छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 12 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शेखर दत्त, कुलाधिपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई एतद्द्वारा डॉ. एस. सी. शर्मा, चीफ मेन्टर, बी. एम. एस. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी एण्ड बी. एम. एस. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, बैंगलोर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कुलपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई नियुक्त करता हूं.

2. डॉ. शर्मा का कार्यकाल, उपलब्धियां तथा सेवा शर्तें उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार होगी.

हस्ता./-
(शेखर दत्त)
कुलाधिपति,
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय,
भिलाई.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.